न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 854 / 2009 संस्थापित दिनांक 12.11.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— मौ.जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

बनाम

 श्याम सिंह पुत्र रामबाबू सिंह उम्र—30 साल व्यवसाय खेती निवासी ग्राम रौन पुलिस थाना रौन,जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

<u>::- निर्णय --::</u> (आज दिनांक 07 / 11 / 14 को घोषित किया)

- 1. आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की घारा 279,338 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 11/10/09 के 10:11 बजे रात बस स्टेण्ड मंजिद के सामने मौ रोड पर अपने आधिपत्य का वाहन कमांक एम.पी.30डी.0052 को तेजी व लापरवाही से चलांकर मानवजीवन संकटापन कारित किया व वाहन कमांक एम.पी.30डी.0052 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलांकर आहत मुकेश को टककर मारकर घोर उपहति कारित की।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैकि प्रकरण में विचारण के दौरान आहत का आरोपी से आपसी राजीनामा हो गया है।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी श्रीमती पूना देवी मय अपने ससुर जसवंत ने दिनांक 11/10/09 के 10:11 बजे पुलिस थाना मौ में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोंट की कि वह अपने पित के साथ दिनांक 11/10/09 को अपने मौहल्ले के इमामी के लडकेंके बारात में मौ आई थी वह तथा उसक पित मुकेश बरात मकें खाना खाकरवापस अपने घर जाने के लियि बस स्टेण्ड पर मस्जिद के सामने खडे थे रात करीब 10,11 बजे का समय था तभी मोटरसायिकल का श्याम सिंह कुशवाह अपनी विलौरो जीप कमांक एम.पी. 30.डी.0052 को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके पित

के टककर मार दी जिससे गाडी का पहिया कमर से पित के निकल गया जिससे दाहिनी राग के पास दाहिने अण्डकोश के बयी जांघ के उपर कमर के सामने दाहिने कूल्हे पर शरीर पर जगह—जगह चोटें आई व खून निकल आया मौके पर उसका देवर राकेश, देवरानी गीता थी जिन्होंने घटना देखी थी। विलौरा वाला श्याम सिंह गाडी लेकर भाग गया फिर उसके पित को उसका देवर देवरानी के साथ रौन अस्पताल पहुंचे जहां से डॉ०साहब द्वारा रेुर कर दिया तभी से अस्पताल भिण्ड में भर्ती होकर इलाज करा रही थी वह आज रिपोर्ट को आई है।

- 4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मौ द्वारा अप०क0193/09 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आहत का मेडीकल परीक्षण कराया जाकर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0की धारा 279,338 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपी को सुनाये व समझाये गये तो उसने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।
- 6. प्रकरण में आहत का आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जाकर आरोपी को भा0द0वि0की धारा 338 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि धारा 279 शमन योग्य अपराध न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।
- 7. आरोपी को धारा 313 द0प्र0स0 की परीक्ष प्रतिरक्षा में प्रवेश कराया जाकर गया। परीक्षण में आरोपी ने बचाव में साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया परीक्षण उपरांत छोडा गया।

7.. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैकि:-

 क्या आरोपी ने वाहन कमांक एम.पी.डी.डी.0052 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन कारित किया?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में अभियोजन की ओरसे अपने पक्ष समर्थन में श्रीमती पूनम आ0सा01,मुकेश आ0सा02,राकेश आ0सा03,श्रीमती गीता आ0सा04,जसवंत आ0सा05,मुन्नीलाल मौर्य आ0सा06 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

- श्रीमती पूनम आ०सा०1 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि घटना रात्रि 10:00 बजे की है उस दिन मंजिद के सामने बस स्टेण्ड पर खडे थे उसके साथ राकेश ,गीता व उसका पति मुकेश भी वही पर खडे थे तभी उसी गांव के श्यामसिंह मार्शल जो कि गांडी को बडी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पति में टककर मार दी। जिससे गाडी का पिछला पहिया उसकी कमर के उपर से निकल गया जिससे उसके कमर,पेट, और कुल्हे व पेशाब की जगह में चोट आई थी। जिसकी रिर्पोट उसने थाना मौ पर की थी जो प्र0पी01 की है। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया हैकि उसका पति रौन बरात में आया था वह बरात में नहीं आई थी। उसे बाद मे मालूम पड़ा था कि गाड़ी से एक्सीड़ेट हो गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि श्याम सिंह की मार्शल से कोई एक्सीडेट नहीं हुआ था। उसके पति मुकेश का किस गाडी से एक्सीडेट हुआ उसे नहीं पता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि उसका पति व राकेश राठौर शराब पिये हुय थे राकेश ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर पड़ा और किसी गाड़ी की चपेट में आ गया था । साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान पूर्णतः खण्डित रहे है ।
- मुकेश आ0सा02 इस साक्षी के साथ दुर्घटना घटित हुई है। इस साक्षी का कहनाहैकि रात के लगभग 10,11 बंजे का समय था वह मंजिद के सामने बस स्टेण्ड पर खडा था उसके साथ उसकी पत्नि पनम, उसका भाई राकेश व गीता भी वहीं खड़ी थी। मेहगांव तरफ से रौन रोड पर जा रही एक मार्शल जीप जिसको श्याम सिंह बडी तेजी व लापरवाही से चला रहाथा उसने टककर मार दी जिससे पहिया उपर चढ गया और उसकी पीठ ,पैर व पेशाब की जगह में चोट आई थी। उसका इलाज मिण्ड में हुआ था जिस मार्शल गाडी ने उसे टक्कर मारी थी उसका नम्बर एम.पी 30-0052 था दुर्घटना के बाद बह बेहोश हो गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया हैकि श्याम सिंह मार्शल गाडी को तेजी व लापरवाही से नहीं चला रहा था मुकेश राठौर ओर वह शराब पिये हुये थे मुकेश ने उसे धक्का दे दिया इसलिये वह गिर गया और उक्त गाडी से टकरा गया । आरोपी श्याम सिंह की इसमें कोई गलती नही थी रात अंघेरी थी इसलिये मार्शल गाडी को नहीं देख पाया तथा वह नशे मे था। साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान पूर्णत : खिण्डत रहे है। साक्षी के कथनों से इस तथ्य का समर्थन नहीं होता हैकि मार्शल गाडी को आरोपी श्यामसिंह ही चला रहा था।
- 11. राकेश आ0सा03 का कहना हैकि रात का समय 10,11 बजे वह लोग मजिद के सामने बस स्टेण्ड पर खडे थे उसके साथ उसकी पत्नि गीता व भाई मुकेश तथा पूनम भी वहीं खडी थी। मेहगाव की तरफ

से एक मार्शल जीप जिसको श्यामिसंह बडी तेजी व लापरवाही से चला रहा था उसने आकर मुकेश में टककर मार दी जिसका पिहया मुकेश की पीठ, पैर व अण्डाकोश फट गया था। फिर दूसरी गाडी से मुकेश को रौन लेकर आये जहां से उसे भिण्ड रेफर कर दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—3में यह स्वीकार किया हैिक वह अपने भाई मुकेश के साथ रौन से इमाम के लड़के की बरात में मौ आया था। उसकी माई व उसकी पित्न घर पर थी रात के 12,1 बजे के समय उसे बरात में मालूम पड़ा कि उसके माई मुकेश का किसी गाडी से एक्सीडेट हो गया है। तब वह बस स्टेण्ड पर पहुचा तो उसका भाई मुकेश बेहोश पड़ा था। मुकेश राठौर ने बताया था कि कोई अज्ञात गाडी से एक्सीडेट हो गया है। साक्षी ने श्यामिसंह को गाडी चलाते हुये नहीं देखा था। इस साक्षी के कथनो से भी वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है।

- 12. जसवंत आ0सा05 का कहना हैकि उसके दो लडके है एक मुकेश व एक राकेश है। बड़ी बहू पूनम तथा दूसरी बहू गीता है। चारो लोग मौ बरात में गये थे उसके चारो बच्चे वाहन के लिये रोड पर खड़े थे मार्शल वाले ने कट मारा जिससे मुकेश को चोट आई थी। मुकेश से पहिया निकल गया था उसे राकेश ने बताया व गीता ने भी बताया था। उस मार्शल को श्यामसिह चला रहा था श्यामसिंह का गलती से एक्सीडेट हुआ था। यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है। जिसे घटना की जानकारी मुकेश,राकेश,गीता व पूनम से प्राप्त हुई है। इसलिये प्रथमतः घटना प्रमाणित करना मुकेश,राकेश,गीता व पूनम का है।
- मुन्नीलाल मौर्य आ०सा०६ इस साक्षी के द्वारा प्रकरण में 13. अनुसंघान किया है। इस साक्षी का कहनाहैकि दिनांक23/10/09 को थाना मौ में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को उसे अप०क0193 / 09 भा0द0वि0की धारा 279,337 की कैस डायरी विवेचना हेत् प्राप्त हुई थी उसने अनुसंधान के कम में घटनास्थल पर पहुचकर नक्शा मौका बनाया था जो प्रoपी02 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी पूनम देवी,साक्षी गीता व राकेश,मुकेश सिंह,जसंवत के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। कुछ घटाया बढाया नहीं था। आरोपी द्वारा मार्शल जीप कमांक एम.पी.30टी.0052 की पेश की गई थी जिसका जप्तीपत्रक तेयारिकया गया जो प्र0पी06 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा तैयार किया था जो प्र0पी07 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाहीं का समर्थन किया है। लेकिन घटित अपराध इस प्रकार का है किउसे घटना के चक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जानाहै। इस साक्षी के कथनो से प्रकरण के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुचा जा सकता।
 - 14. प्रकरण में गीताबाई आ०सा०४ को न्यायालय के समक्ष

परीक्षित कराया गयाहै। साक्षी का परीक्षण दिनांक 01/03/12 को किया गया। लेकिन उक्त दिनांक को साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है इसके पश्चात साक्षी प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुई है। जबकि आरोपी का यह अधिकार हैकि वह साक्षी के द्वारा किये गये कथनों पर प्रतिपरीक्षण कर सके इसलिये इस साक्षी के कथनों पर निर्णय के संबंध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

- 15. प्रकरण में घटना में आहत व चक्षुदर्शी साक्षी श्रीमती पूनम आसा01,मुकेश आ0सा02,राकेश आ0सा03 को बताया गया है। पूनम आ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया हैकि घटना के समय वह घर पर थी। उसने यह भी स्वीकार किया हैकि श्याम सिंह की मार्शल से कोई एक्सीडेट नहीं हुआ है। इस तरह पूनम के कथनों से आरोपी श्याम सिंह के वाहन चला कर दुर्घटना कारित किये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।
- 16. मुकेश आ0सा02 केसाथ दुर्घटना घटित हुई है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—2 में यह स्वीकार किया हैकि उसने स्वीकार किया हैकि रात अंधेरी थी इसलिये वह मार्शल गांडी को नहीं देख पाया तथा वह नशे में था। इस तरह इस साक्षी के कथनों से भी वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है।
- 17. राकेश ने आ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—3 में यह स्वीकार किया हैकि दुर्घटना के समय वह बरात में था मुकेश राठौर ने उसे बतायाथा कि किसी अज्ञात वाहन से उसका एक्सीडेट हो गया है उसने श्याम सिंह को गाडी चलाते हुये नहीं देखा इस तरह इस साक्षी के कथनों से भी वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है। जसंवत सिंह आ0सा05 घटना का अनुश्रुत साक्षी है जिसने घटना होते हुये नहीं देखी है।
- 18. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी व आहत के द्वारा न्यायालय में यह कथन दिया हैकि उन्होंने आरोपी श्याम सिंह को वाहन चलाते हुये नहीं देखा है। इस तरह न्यायालय में परीक्षित साक्षियों के कथनों से वाहन चालक की पहचान प्रमाणित नहीं होती है।
- 19. प्रकरण में फरियादी एवं आहत मुकेश व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता हैकि फरियादी व साक्षियों ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है। जिनके द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी श्याम सिंह द्वारा वाहन को न चलाये जाने की बात कहीं है। इसलिये आरोपी के विरुद्ध आरोपित आरोप साक्षियों के कथनों से पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये।

- 6
- 20. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0की धारा 279 का अपराध पूर्णतः अप्रमाणित अवस्था में विधमान है शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपी को भा0द0वि0की धारा 279 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हे।
- 21. प्रकरण में जप्तशुदा जीप कमांक एम.पी.30डी.0052 पूर्व से राकेश की सुर्पुदगी में है अतः सुर्पुदगीनामा अपील अविध पश्चात आवेदक के पक्ष में स्वमेव निरस्त माना जावे।
- 22. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील / याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपी को आहूत करता है तो इस संबंध में आरोपी की ओर से धारा 437ए के प्रावधान के तहत 10 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही जे0एम0एफ0सी0गोहद जिला भिण्ड हस्ता0सही जे0एम0एफ0सी0गोहद जिला भिण्ड